

प्रेषक,

श्रीमती हैमलता ढौँडियाल,  
संयुक्त सचिव,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

सचिव,  
राज्य नागर विकास अभिकरण,  
उ.प्र., लखनऊ

लखनऊ : दिनांक 4 सितम्बर, 1997

नगरीय रोजगार एवं  
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम  
अनुभाग।

महोदय,

विषय : नेहरू रोजगार योजना की विभिन्न उपयोजनाओं के  
लिए प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय नेहरू रोजगार योजना की दोनों उपयोजनाओं, नगरीय लघु उद्यम योजना, नगरीय मजदूरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ को वित्तीय वर्ष 1996-97 तक के अवशेष देय राज्यांश एवं 1997-98 में केन्द्रांश के सापेक्ष देय राज्यांश के रूप में रु.16,49,59,000.00 (रूपये सोलह करोड़ उनचास लाख उनसठ हजार मात्र) का अनुदान दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रु. में)

क्रमांक	मद	सामान्य	एस.सी.पी.	योग
1.	नगरीय लघु उद्यम योजना	521.13	69.62	590.75
2.	नगरीय मजदूरी रोजगार योजना	489.50	120.00	609.50
3.	प्रशासनिक व्यय	161.69	-	161.69
4.	आश्रय सुधार योजना	111.65	-	111.65
5.	नगरीय लघु उद्यम (प्रशिक्षण)	176.00	-	176.00
योग		1459.97	189.62	1649.59

(रूपये सोलह करोड़ उनचास लाख उनसठ हजार मात्र)

2. योजनान्तर्गत उक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-  
 1. यह कि उक्त धनराशि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा

- निर्देशों/पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना की उल्लिखित उपयोजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय की जायेगी।
2. उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है है।
  3. उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण कोषागार से 31 अक्टूबर, 1997 तक अवश्य कर लिया जाय, उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण लखनऊ द्वारा किया जायेगा तथा आहरित धनराशि सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ के पद नाम से खोले गये पी.एल.ए. में जमा की जायेगी तथा वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से पी.एल.ए. के निकाला जायेगा और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से यथा स्थिति जिला नगरीय विकास अभिकरण स्थानीय निकायों को आवंटित की जायेगी।
  4. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा) उ.प्र. इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक माह के भीतर अवश्य भेज दी जाय।
  5. इस धनराशि का उपयोग शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अवश्य कर लिया जाय और उसके बाद तुरन्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार उ.प्र. इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित/दुरुपयोगित धनराशि, आदि यदि कोई हो, एक मुश्त शासन की वापस करनी होगी।
  6. सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य कर लेंगे।
3. उपरोक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित लेखा शीर्षक के नाम डाला जायेगा :-

2230-श्रम तथा रोजगार-आयोजनागत-02-रोजगार-  
101- रोजगार सेवाए -01- केन्द्रीय आयोजनागत/  
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं-0101-नेहरू रोजगार  
योजना के अन्तर्गत नगरीय लघु उद्यम योजना-  
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता रु. 5,21,13,000

0102-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट  
प्लान नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत नगरीय  
लघु उद्यम योजना -20- सहायक अनुदान/अंशदान/  
राज सहायता रु. 69,62,000

0103-नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक  
सम्पत्ति के निर्माण हेतु नगरीय मजदूरी रोजगार योजना

-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	रु. 4,89,50,000
0104-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान नेहरू रोजगार योजना के क्षेत्राति सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण हेतु नगरीय मजदूरी रोजगार योजना	
-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	रु. 1,20,00,000
0105 आवास निर्माण एवं झुग्गी झोपड़ी के सुधार द्वारा रोजगार योजना -20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	रु. 1,11,65,000
0107- नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं अवस्थापना व्यय के केन्द्रांश/राज्यांश हेतु राज्य नागर विकास अभिकरण को अनुदान -20-सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता	रु. 1,61,69,000
0108-नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत नगरीय लघु उद्यम प्रशिक्षण योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	रु. 1,76,00,000

योग रूपये **16,49,59,000**

(रूपये सोलह करोड़ उनचास लाख उनसठ हजार मात्र)

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-2092/दस-97, दिनांक, 1-9-97 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(हेमलता ढौँडियाल)  
संयुक्त सचिव।

**संख्या- 1360(1) / 69-1-97-53(बजट) / 97. तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक, (ई एण्ड पी ए) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ.प्र., कमला नेहरू पार्क इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनु.-2, नियोजन अनुभाग-2
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ।
7. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1

आज्ञा से,

(हेमलता ढौँडियाल)  
संयुक्त सचिव।